

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या 467/2021

श्री शंभू कुमार पासवान, पिता स्व० राजाराम, हेल्पर/ समाडी/ मुजफ्फरपुर को NIP No-या/समाडी/अनु/में०/04/मुज/18 दिनांक-11.12.18 द्वारा दिनांक 11.12.18 को रेल सेवा हटाये जाने का आदेश पारित किया गया था को अपील पर अपीलीय अधिकारी वमयाई/ समाडी/सोनपुर द्वारा सजा को कम कर निम्न आदेश पारित किया गया है :-

कर्मचारी को अनधिकृत अनुपस्थिति का दोषी मानते हुए निम्न शर्त पर कम पर लिया जाता है। कर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में दो स्तर निचे 02 वर्षों के लिए अस्थाई तौर पर किया जाता है जिसका प्रभाव असंचई (NC) होगा।

उपरोक्त कर्मचारी को कार्य पर वापस लिया जाए एवं कार्यभार ग्रहण तिथि से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

प्राधिकार वमयाई/समाडी/ सोनपुर के पत्र संख्या-या/समाडी/अनु०/में०/04/18 दिनांक-27.07.2021

(बिजय इंजीनियर)  
सकाधि-III  
कृते मरेप्र(का०)सोनपुर

दिनांक-03.08.2021

संख्या- का/256/या/समाडी/सोन/2021

प्रतिलिपि- 1-वमयाई/ समाडी/ सोनपुर, वमविप्र\*/ सोनपुर

2-सी.डी.ओ./ मुजफ्फरपुर

3-कर्मचारी प्रति

4-कार्यालय प्रति

5-मुकार्याधि/ बिल/ सोनपुर

1996  
9.5/20  
कृते मरेप्र(का०)सोनपुर